विभाग
जयपुर
1485
15/6/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(16)गृह–1/2017 भाग।। जयपुर, दिनांक 14 JUN 20

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.04.2021 के द्वारा नीचें वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम–01	300733	श्रीमती रश्मि कुमारी	24.03.1987	GE.WE	प्रलेख

श्रीमती रश्मि कुमारी का चयन प्रलेख एवं आरसन एवं एक्सप्लोजिव (दो खण्डों) में हुआ जिसके क्रम में इनके द्वारा आरसन एवं एक्सप्लोजिव खण्ड में कार्यग्रहण किया जा चुका है तथा प्रलेख खण्ड में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही किया है। विभाग द्वारा इन्हें स्मरण पत्र दिनांक 31.05.2021 एवं व्हाटस्अप पर उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचित करते हुए, दिनांक 01.06.2021 तक आवश्यकरूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया किन्तु श्रीमती रश्मि कुमारी ने आदिनांक कार्यग्रहण नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना दी है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दु संख्या 19 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि काई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, इस विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा किये गये इनके नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

14/6/2021

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी सं. 1486
दिनांक 15/6/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(16)गृह–1/2017 भाग।। जयपुर, दिनांक

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.04.2021 के द्वारा नीचें वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम–01	300224	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	04.05.1988	GE	अस्त्रक्षेप

श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा इनके वर्तमान राजकीय सेवा (मध्य प्रदेश सरकार) में धारित वैज्ञानिक अधिकारी के पद का वेतन संरक्षण (पे–प्रोटक्शन) एवं कार्यग्रहण से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक 15.04.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विभागीय स्तर पर वेतन संरक्षण संबंधी परीक्षण किया जाकर, इन्हें विभागीय पत्र दिनांक 24.05.2021 एवं व्हाटस्अप पर उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचित करते हुए, दिनांक 01.06.2021 तक आवश्यकरूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया किन्तु श्री पंकज कुमार पाण्डेय ने आदिनांक कार्यग्रहण नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना दी है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दु संख्या 19 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, इस विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा किये गये इनके नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

15/6/2021
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी 1484
दिनांक 15/6/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(16)गृह–1/2017 भाग।।

जयपुर, दिनांक 14 JUN 2021

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.04.2021 के द्वारा नीचें वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम–01	300144	सुश्री अंशु राजावत	19.04.1985	GE.WE	रसायन

सुश्री अंशु राजावत का चयन रसायन एवं नारकोटिक्स (दो खण्डों) में हुआ है। विभागीय आदेश दिनांक 07.04.2021 के द्वारा इन्हें रसायन खण्ड में नियुक्ति आदेश जारी कर, निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया। सुश्री अंशु राजावत द्वारा निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से विभाग में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2021 प्रस्तुत कर, नियत तिथि तक रसायन खण्ड में कार्यग्रहण करने में असमर्थता प्रकट की गई। विभागीय स्तर पर इनके प्रार्थना पत्र पर परीक्षण किया जाकर, इन्हें समसंख्यक पत्र दिनांक 31.05.2021 एवं व्हाटस्अप पर उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचित करते हुए, दिनांक 01.06.2021 तक आवश्यकरूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया किन्तु सुश्री अंशु राजावत ने आदिनांक कार्यग्रहण नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना दी है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दु संख्या 19 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि काई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः सुश्री अंशु राजावत द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, इस विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा किये गये इनके नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

14/6/2021
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 1483
दिनांक 15/6/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(16)गृह–1/2017 भाग।। जयपुर, दिनांक 14 JUN 202

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर इस विभाग की आज्ञा दिनांक 07.04.2021 के द्वारा नीचें वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम–03	300908	श्री मनीष शर्मा	13.11.1978	GE	भौतिक

श्री मनीष शर्मा ने इस विभाग में दिनांक 17.04.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, इनकी वर्तमान राजकीय सेवा (शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार) से नियत तिथि तक कार्यमुक्त नही हो पाने कारण एवं तत्समय प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के लम्बित होने के आधार पर निर्धारित कार्यग्रहण तिथि में दो माह की वृद्धि करने का अनुरोध किया गया। विभागीय स्तर पर इनके प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया जाकर, इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.05.2021 एवं व्हाटस्अप पर उक्त पत्र की प्रतिलिपि इन्हें प्रेषित कर सूचित करते हुए, दिनांक 01.06.2021 तक आवश्यकरूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया किन्तु श्री मनीष शर्मा ने आदिनांक कार्यग्रहण नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना ही दी है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दु संख्या 19 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि काई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः श्री मनीष शर्मा द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए इस विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा किये गये इनके नियुक्ति आदेश एतदद्वारा निरस्त किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0।

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपीः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

कार्यवाही
15/6/21

14/6/2021
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस